समाहरणालयय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

आदेश

मार्च, 2015 में हुई ओलावृष्टि एवं दिनांक 21-04-2015 की रात्रि में आये चक्रवातीय तूफान /ओलावृष्टि से जिले में फसल एवं कच्चे /पक्के मकानों की क्षति हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के दिशा-निदेशानुसार राहत वितरण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। काफी संख्या में अनुदान की राशि प्रभावित लोगों के बीच बांटी जा रही है। आपदा प्रबंधन विभागीय पत्रांक-1602, दिनांक-02-05-2015 द्वारा राहत पाने वाले लोगों की सूची की जांच जिले में पदस्थापित अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी /वरीय उप समाहर्त्ता /अनुमण्डल पदाधिकारी /भूमि सुधार उप समाहर्त्ता से कराने का निदेश प्राप्त है (छायाप्रति संलग्न)। गृह क्षति की जांच हेतु इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-1161/गो0, दिनांक-26-04-2015 द्वारा चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित मुरलीगंज तथा बिहारीगंज प्रखण्डों हेतु वरीय उप समाहर्त्ता की प्रतिनियुक्ति की गयी है। फसल क्षति के मामलों में कृषि इनपुट सब्सिडी वितरण हेतु सभी प्रखण्डों के लिए वरीय पदाधिकारियों एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति निम्नवत् की जाती है :-

क्र0	प्रखंड का नाम	प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम /पदनाम
1	मधेपुरा	श्री अबरार अहमद कमर, अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा
2	सिंहेश्वर	
3	शंकरपुर	श्री बिमल कुमार सिंह, अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा
4	कुमारखण्ड	
5	घैलाढ़	श्री सुधीर कुमार सिन्हा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा
6	गम्हरिया	
7	मुरलीगंज	श्री कन्हैया प्रसाद, अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा
8	बिहारीगंज	
9	ग्वालपाड़ा	श्री मिथिलेश कुमार, उप विकास आयुक्त, मधेपुरा
10	पुरैनी	
11	उदाकिशुनगंज	श्री दीपक कुमार साहु, अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज
12	चौसा	श्री रविन्द्र कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज
13	आलमनगर	

उपरोक्त पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि कृषि इनपुट सब्सिडी वितरण कार्य का विभागीय दिशा-निदेशानुसार अनुश्रवण करेंगे एवं किसान सलाहकारों /प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी द्वारा दिए गए सर्वेक्षण सूची की रैण्डमली जांच (आवंटित प्रखण्डों के उन सभी पंचायतों में जहां क्षतिग्रस्त फसलों का क्षेत्रफल सर्वाधिक हो) कर जांच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी

को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जो वर्तमान में मुरलीगंज तथा बिहारीगंज प्रखण्ड में गृह क्षति वितरण कार्य का अनुश्रवण कर रहे हैं, वे वितरण की समाप्ति के पश्चात् अपने-अपने आवंटित प्रखण्डों में कृषि इनपुट सब्सिडी वितरण की जांच करेंगे। सभी अंचलाधिकारियों के पास क्षतिग्रस्त फसलों के किसानों की सूची प्राप्त कर सभी प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी जांच करना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

अनुलग्नक : आपदा प्रबंधन विभागीय पत्रांक-1602, दिनांक-02-05-2015 की छायाप्रति।

ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1252 /गो0, मधेपुरा, दिनांक 03/05/15

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन /उप विकास आयुक्त /अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /सभी अंचलाधिकारी /सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : प्रभारी सचिव, मधेपुरा जिला /प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

03/05/15

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

D/Khalid/2015/Gopnia/Apada/ Order